<u>सील्ड /रजिस्टर्ड</u>

<u>संख्या-936/2026/2277/22-2-2025-17(608)/2025</u>

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार-2,
जिला कारागार, बरेली।

<u>कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2</u> <u>लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2026</u>

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपके पास आपकी जेल के निम्नलिखित कैदी का लाइसेन्स भेजूं और आपको यह सूचित करूं कि यू0 पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 (सन् 1938 का एक्ट-8) की धारा-2 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल इस बन्दी को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन रूल्स के नियम-8 के अनुसार लाइसेन्स के द्वारा मुक्त किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं।

बन्दी का नाम- नरेश उर्फ हुल्ली (बन्दी संख्या-53/2010)

बन्दी के पिता का नाम-श्री रणधीर सिंह।

निवासी-वीजामऊ, थाना-हाफिजगंज, जनपद-बरेली।

2- कृपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करें।

<u>संलग्नक: लाइसेन्स की मूल प्रति।</u>

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-936/2026/2277(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के साथ)

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म-घ (डी)

(देखिए नियम -7)

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अधीन शर्तों पर छोड़े जाने का लाइसेन्स।

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस पाबन्दी के साथ कि आगे लिखी शर्तों का पालन किया जायेगा, बन्दी नरेश उर्फ हुल्ली, जिसके पिता का नाम- श्री रणधीर सिंह और दिनांक 01.06.2022 को आयु 45 वर्ष, निवासी-वीजामऊ, थाना-हाफिजगंज, जनपद-बरेली का है, जिसकी बन्दी संख्या-53/2010 है, जो इस समय केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में बन्द है, बंदी द्वारा दिनांक 01.06.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष 10 माह 08 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है, को छोड़ने की स्वीकृति और निर्देश देते हैं और उक्त कैदी का अभिभावक कैदी का भाई श्री रंजीत कुमार पुत्र श्री रणधीर सिंह को नियुक्त किया जाता है, की देखरेख और अधिकार में रखते हैं।

यह लाइसेंस यदि वह पहले ही निरस्त न कर दिया गया हो, तो बन्दी की मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो जायेगा।

शर्तें जिनका पालन लाइसेंसदार को करना होगा

1- लाइसेंस की अवधि में लाइसेंसदार उपर्युक्त अभिभावक की देख-रेख और अधिकार में रहेगा। वह उन सभी आदेशों का अनुपालन करेगा, जो अभिभावक उसके निवास स्थान, रोजगार और चाल-चलन के विषय में उसे मौखिक रूप से या लिख कर दें।

2- उसके अभिभावक ने जिन स्थानों की सीमाओं के भीतर रहने का उसे आदेश दिया हो उसके बाहर वह बिना उसकी अनुमति के नहीं जायेगा। वह उस स्थान पर चला जायेगा, जहां जाने का निदेश उसे अभिभावक ने दिया हो और वह उस मार्ग से जायेगा, जिसे उसके अभिभावक ने निर्धारित कर दिया हो।

3- वह उस समय और उन स्थानों पर और उन व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होगा, जिनके सम्बन्ध में अभिभावक समय-समय पर निदेश करे।

4- वह स्वयं यथोचित परिश्रम से अभिभावक के संतोषानुसार उस काम को करेगा जिसमें लगाने का अभिभावक उसे निर्देश करें।

5- वह कोई ऐसा अपराध न करेगा, जो किसी ऐसे कानून द्वारा दण्डनीय हो, जो भारत में इस समय लागू हो।

6- वह ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी भी रूप में मेल न रखेगा, जिनके विषय में यह प्रसिद्ध हो कि वे बदमाश हैं या दुराचारपूर्ण या कुत्सित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

7- यदि राज्य सरकार यह समझे कि उसने उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को अपना मामला, जिस जिले में वह उस समय रह रहा है, उसके जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख रखने का एक अवसर देने के उपरान्त उसके लाइसेंस का निरसन कर सकती है और यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-4 के उपबन्धों का पालन करते हुए कैद की बाकी सजा भुगतने के लिए उसे फिर से जेल में बन्द किये जाने का निदेश दे सकती है।

8- इस लाइसेंस के निरसन पर उक्त कैदी निरसन के आदेश पत्र में बताई हुई उस तारीख पर या उससे पहले ही जेल में वापस आ जायेगा।

9- अभिभावक की मृत्यु हो जाने की दशा में लाइसेन्सदार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जहां कि वह रहता है, इस बात की सूचना तुरन्त देगा और यदि सम्भव हो तो मृतक के स्थान पर किसी दूसरे उपयुक्त अभिभावक का नाम प्रस्तावित करेगा और प्रस्तावित अभिभावक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभिभावक का कर्तव्य

लाइसेन्स की शर्तो का पालन पूर्ण रूप से कराना अभिभावक का कर्तव्य होगा। वह लाइसेंसदार के चाल-चलन और उसकी भलाई का ध्यान रखेगा और साधारणतया उसके स्थानीय संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। यदि लाइसेंसदार का आचरण खराब पाया जाये तो अभिभावक का कर्तव्य होगा कि इस बात की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट से करें।

यदि इस एक्ट के अधीन लाइसेन्स पर छोड़ा गया कोई कैदी अभिभावक की देख-रेख या अधिकार से निकल भागे या उसका लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर जेल वापस न लौटे तो अभिभावक तुरन्त उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेन्ट को देगा और निकटतम थाने में रिपोर्ट करेगा और कैदी के विरूद्ध उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी, जिस प्रकार पुलिस के हस्तक्षेप योग्य मामले में की जाती है।

दिनांक : 10 जुलाई, 2026

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।